

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्सद सचिवालय  
द्वितीय तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना

E-mail: sipbbihar16@gmail.com. Website: w.w.w.udyog.bihar.gov.in

दिनांक-

सं० सं०-एस०आई०पी०बी० 201700416.....  
सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
बिहार, पटना।

विषय- मे० आर० आर० एग्रोटेक द्वारा नया बस्ती, नया बाजार, आरा में 20000 मे० टन क्षमता का वेयर हाउस की ईकाई की स्थापना हेतु टर्म लोन पर ब्याज अनुदान के रूप में कुल रू० 18,67,460/- (मात्र अठारह लाख सड़सठ हजार चार सौ साठ रूपए) के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मे० आर० आर० एग्रोटेक द्वारा नया बस्ती, नया बाजार, आरा में 20000 मे० टन क्षमता का वेयर हाउस ईकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्सद की बैठक दिनांक 14.07.2017 को स्टेज-1 तथा दिनांक 04.09.2017 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरन्स प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम- 7 (2) (ii) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत गैर प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्सद सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक एस०आई०पी०बी००201700416/640 दिनांक 22.11.2017 के द्वारा श्री विशेश्वर प्रसाद, उप उद्योग निदेशक, बिहार, पटना एवं श्री मिथिलेश सिंह, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर से उक्त ईकाई का स्थल निरीक्षण कराया गया। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 09.06.2017 से कार्यरत बताया गया है, अतः ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. ईकाई को पूर्व में 31 मई, 2018 तक कुल रू० 45,43,921/- (पैंतालिस लाख तैंतालिस हजार नौ सौ इक्कीस रूपए मात्र) दिया जा चुका है।

4. ईकाई को चतुर्थ किस्त के रूप में 01 जून, 2018 से 30 नवम्बर, 2018 तक ब्याज अनुदान के रूप में कुल रू० 18,67,460/- (मात्र अठारह लाख सड़सठ हजार चार सौ साठ रूपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी।

(iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत धारणा पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप की जाएगी।

5. उक्त राशि का व्यय वहन "राज्यादेश सं०-2060, दिनांक-11.06.18 एवं आवंटनादेश सं०-5/DI-B(Allotment)-16/2018, Order No.-1480 dated-13.06.2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80-सामान्य, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160-प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

क्रमशः पृष्ठ-2

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
7. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
8. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रशीद पर बी० टी० सी० फार्म-25 पर की जाएगी।
9. इस राशि का भुगतान आर० आर० एग्रोटेक को उनके ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, एम ब्लॉक कनौट प्लेस, नई दिल्ली में खाता संख्या-10481131003844, IFS Code-ORBC0101048 में RTGS के माध्यम से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०

बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700416.....

प्रतिलिपि:—कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700416.....

दिनांक-

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700416.1236

दिनांक- 28.02.19

प्रतिलिपि:— महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में 1 आर० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ मे० आर० आर० एग्रोटेक नया बस्ती, नया बाजार, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।